न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 359/2016

सीताराम पुत्र स्व. श्री जयनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– अपीलान्ट–

बनाम

1. गोविन्दनारायण पुत्र स्व. श्री कल्याण (दौराने मृतक फौत)

1/1 श्रीमति चांददेवी शर्मा पत्नी स्व. प्रभुनारायण

1/2 राजकुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुनारायण

1/3 कुमारी संगीता पुत्री स्व. श्री प्रभुनारायण शर्मा

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण – मकान नंबर 4770 सौखियों का मौहल्ला, कुन्दीगर भैरू जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

1/4 श्रीमती अंजु शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा पुत्री स्व. श्री प्रभुनारायण शर्मा, निवासी मं.न. 64, महादेव नगर, अक्षरधाम मंदिर के पास, गांधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर।

1/5 श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री धीरज शर्मा पुत्री स्व. प्रभुनारायण शर्मा, निवासी म.न. 58–बी, इन्कम टैक्ट कॉलोनी, जगतपुरा जयपुर।

1/6 कमल किशोर शर्मा पुत्र स्व. गोविन्दनारायण, जाति ब्राह्मण निवासी म.न. 10/770, मालवीय नगर, जयपुर।

1/7 अशोक कुमार शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा पुत्र स्व. श्री गोविन्दनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी प्लाट नं. 55/235, रजतपथ, मानसरोवर, जयपुर।

1/8 श्रीमती मुन्नादेवी शर्मा पत्नी श्री श्रवणलाल शर्मा पुत्री स्व. गोविन्दनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी झण्डों का मौहल्ला, ग्राम निवाई तहसील निवाई, जिला टोंक।

1/9 श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी स्व. श्री अरूण कुमार दीक्षित पुत्री स्व. गोविन्दनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी 3 झ 32, जवाहर नगर, जयपुर।

2. श्रीमती भौरी देवी पत्नी स्व. श्री मूलचन्द (मृतक दौराने फौत)

3. मोहनलाल
4. बाबूलाल
5 गणेशचन्द – पुत्रान स्व. मूलचन्द
6. प्रेमप्रकाश
7. मुकेश

8. मुन्नादेवी पुत्री स्व. मूलचन्द पत्नी प्रभुदयाल शर्मा, हाल निवासी ग्राम अचरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

9. शांतिदेवी पुत्री स्व. मूलचन्द पत्नी महेश शर्मा, हाल निवासी ग्राम मानसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

10. रामेश्वर पुत्र कल्याण (दौराने प्रकरण फौत)

10/1 ओमप्रकाश शर्मा, उम्र 56 वर्ष
10/2 सुरेशचन्द शर्मा, उम्र 54 वर्ष – पुत्रान स्व. रामेश्वर
10/3 रमेश कुमार शर्मा, उम्र 49 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

10/4 महेश कुमार, उम्र 45 वर्ष
10/5 हरीश शर्मा, उम्र 40 वर्ष
10/6 आलोक शर्मा, उम्र 37 वर्ष
} पुत्रान स्व. रामेश्वर

10/7 श्रीमती शांतिदेवी बेवा स्व. रामेश्वर

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, ढाणी– पतडियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

10/8 श्रीमती मंजु शर्मा पत्नी रामोतार शर्मा पुत्री स्व. रामेश्वर शर्मा, निवासी गुढा बोबास जोबेनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

10/9 श्रीमती आशा शर्मा पत्नी चिरंजीलाल शर्मा पुत्री स्व. रामेश्वर शर्मा, निवासी भम्भौरी, तहसील व जिला जयपुर।

11. भौरीदेवी पत्नी सुन्दरलाल (मृतक दौराने फौत)

12. घीसा देवी पुत्री सुन्दरलाल (मृतक दौराने फौत)

13. श्रीमती कमलादेवी पत्नी सौभागमल जैन, निवासी– सिविल लाईन जयपुर।

14. श्रीमती किरन पाटनी पत्नी शैलेश पाटनी, निवासी जयअम्बे नगर, टोंक रोड, जयपुर।

15. श्रीमती पद्मा चौधरी पत्नी नेमीचन्द चौधरी, निवासी प्लाट न. 14, 15 सिविल लाईन्स कॉलोनी, सीताबाडी, टोंक रोड, जयपुर।

16. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री सत्यनारायण शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री भगवान सहाय शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/9 व 2 ल0 9 की ओर से।

3– श्री अमित कुमार जैन रेस्पोडेंट संख्या 15 की ओर से।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 29–12–2017

1. यह अपील अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर शहर जयपुर मि.स. 134/2006 उनवानी गोविन्दनारायण बनाम सीताराम वगैरह प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट वादीगण 1 लगायत 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2006 को पेश किया जिसमें वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान 112/2, 108, 207, 208, 209, 210, 338/3, 111, 112/1, 166, 167, 188, 189, 190, 192, 184/1, 110/3, 204, 205, 200/1, 338/1, 112/343 किता 15 कुल रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 148, 153, 250, 288, 289, 299 से 302, 315, 556/611 किता 11 कुल रकबा 2.13 हैक्टै0 एवं 144 से 147, 149, 154, 159 से 161, 260, 282 से 285, 290 से 293, 303, 309, 555, 556/612 कुल किता 22 कुल रकबा 7.58 हैक्टै0 वाके ग्राम सीतारामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर को पैतृक एवं मौरूसी कृषि भूमि बताते हुए अपना हक हिस्सा 1/5–1/5–1/5 दर हिस्सा 1/2 बताया है तथा खातेदारी की घोषणा का अनुतोष मांगा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 कैम्प लाखना में दिनांक 16.06.2016 को निस्तारण कर दिया तथा प्रार्थी प्रतिवादीगण को ताफैसला दावा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया जिससे पीडित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2016 अप्राकृतिक एवं न्याय सिन्द्धान्तों की अवहेलना करते हुए एकपक्षीय पारित किया गया है जो एबइनिशियों वॉयड होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक पक्षकारान गोविन्दनारायण पुत्र कल्याण, भौरीदेवी पत्नी मूलचन्द, रामेश्वर पुत्र कल्याण, भौरी देवी पत्नी सुन्दरलाल, घीसा देवी पत्नी सुन्दरलाल जो दौराने प्रकरण फौत हो चुके है, के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो नलिटी होने से स्वतः ही खारिज योग्य है। वादीगण/प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण में एक प्रार्थनापत्र बाबत् बनाये जाने पक्षकार अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. दिनांक 22.02.2008 को पेश कर रखा है जिसमें दस पक्षकार जो वादग्रस्त भूमि के क्रेतागण एवं सह खातेदार है उन्हें बिना पक्षकार बनाये ही एवं प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही अवैध निर्णय पारित कर दिया जिससे अपीलाधीन आदेश कानून की दृष्टि में अवैध एवं प्रभावहीन होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 20.01.2007 जिसके अनुसार प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखने के आदेश जारी कर रखे हैं जिसकी प्रति प्रार्थी/अपीलान्ट ने न्यायालय में पेश कर रखी है उसकी अवहेलना करते हुए अवैध आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को आगामी पेशी दिनांक 11.07.2016 दे रखी थी जिन्हें बिना सूचना दिये ही एवं उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अवैध निर्णय पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निर्णित करने से पूर्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का मामला एवं अपूरणीय क्षति पर पूर्ण विवेचन किये बिना ही केवल मात्र राजस्व मण्डल के फोरमल आदेश की आड लेकर प्रार्थना पत्र को अन्तिम रूप से अपनी मनमर्जी से निस्तारित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर कथन किया गया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे कि पक्षकारान् को जवाब–देही एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रस्तुत कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेंट वादीगण संख्या 1 ल0 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद घोषणा, तकास्मा व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के संबंध में राजस्व मंडल का स्थगन आदेश प्रभावी था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 भी लम्बित था। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.07.2016 नियत थी परन्तु दिनांक 16.06.2016 को ही पत्रावली कैम्प कोर्ट में रख ली गई तथा इसके संबंध में अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलाधीन आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटकों पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनका दावा इन्द्राज दुरूस्ती का था। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवंत 2057 से 60 में प्रविष्टि अंकित करने में गलती की गई है जो कि दुरूस्ती किये जाने का अनुतोष जरिये वाद चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को सरंक्षित किये जाने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 के लम्बित होने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। माननीय राजस्व मंडल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 की निगरानी में दावे की कार्यवाही लम्बित की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

गई है न कि कोई स्थगन आदेश दिया गया है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया केस रेस्पोडेंट के पक्ष में है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2004 (1) 590 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपील खारिज की जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में अप्रार्थियान द्वारा अपना हिस्सा अनुचित तौर पर दर्ज करवा लिया गया है तथा उसे दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने गलत रूप से अंकित राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 6 ल0 8 को विक्रय कर दी गई है तथा अन्य भूमि का भी बेचान किये किये जाने पर आमादा है यदि अप्रार्थी अपने मनसूबों पर कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण के वाद का मकसद फौत हो जावेगा तथा वाद बाहुलता को बढावा मिलेगा। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 पारित किया जाकर उभय पक्ष को वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतू पाबन्द किया गया है। चूंकि प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती से संबंधित है अतः वादग्रस्त भूमि को संरक्षित किया जाने का दायित्व न्यायालय का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर उभय पक्ष को पाबन्द किया गया है जो कि वाद की प्रकृति को देखते हुए तथा वाद बाहुलता रोके जाने के उद्देश्य से उचित तौर पर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील अपीलान्ट् अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 29–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर